

F. No./NRC/NCTE/UP-2933/2015 /10/828

Date:

21 MAY 2015

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION 4

ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. **AND WHEREAS**, the recognition was granted by NRC to **Maa Draupdi Kanya Vidyalaya, Vill. - Janipur Kalan, Post- Shikarpur, Tehsil- Shikarpur, District- Bulandshahr, Uttar Pradesh** for B.Ed. Course vide order no. NRC/NCTE/F-7/UP-2933/157th Meeting/2010/18962-18967 dated 26.03.2010 with an annual intake of 100 seats from the academic session 2009-2010.

3. **AND WHEREAS**, the said institution has by affidavit consented to come under New Regulations and sought for two basic units in B.Ed., which require additional facilities.

4. **AND WHEREAS**, it has been decided to permit the institution to have two basic units of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely.

- (i) The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up-area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.
- (ii) The application-Institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.
- (iii) The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these condition by 20 February, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.
- (iv) In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act/ Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted alongwith the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

4. **Now therefore**, in the light of the above, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to **Maa Draupdi Kanya Vidyalaya, Vill. - Janipur Kalan, Post- Shikarpur, Tehsil- Shikarpur, District- Bulandshahr, Uttar Pradesh** for conducting B.Ed. programme of **two years duration** with an **annual intake of 100 for two basic units of 50 students each from the academic session 2015-2016** subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

5. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

6. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

7. The institution shall maintain & update its website as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure.

- (a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution.
- (b) Name of the faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph.
- (c) Name of faculty members who left or joined during the last quarter.
- (d) Names of students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.
- (e) Fee charged from students.
- (f) Available infrastructural facilities.
- (g) Facilities added during the last quarter.
- (h) Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter.
- (i) The affidavit with enclosure submitted along with application.
- (j) The institution shall be free to post additional relevant information, if it so desires.
- (k) Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.

If the institution Contravenes any the above conditions or the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By Order

(Dr. S. K. Chauhan)
Regional Director

The Manager to Govt. of India,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi - 110 054

Copy to:-

1. The Secretary / Correspondent, Maa Kamla Charitable Trust, Plot No.- RDC-57, Kavi Nagar, City- Ghaziabad, Pin Code- 201001, Uttar Pradesh.
2. The Principal, Maa Draupdi Kanya Vidyalaya, Vill. - Janipur Kalan, Post- Shikarpur, Tehsil- Shikarpur, District- Bulandshahr, Uttar Pradesh.
3. The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001.
4. The Principal Secretary, (Higher Education) Govt. of Uttar Pradesh, UP Civil Secretariat, Annexe Bhawan 5th Floor, Room No. 501, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.
5. The Registrar, Ch. Charan Singh University, Meerut, Uttar Pradesh.
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, I, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.
7. Office order file/ Institution file.

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-III, SECTION-4

F.NRC/NCTE/F-7/UP-2933/157 MEETING/2010/18963

Dated:

ORDER

26 MAR 2010

WHEREAS in terms of Section **14(1)** of the NCTE Act, 1993 **Maa Draupdi Devi Kanya Vidyalaya, Vill- Janipur Kalan, Post- Shikarpur, Tehsil- Shikarpur, District- Bulandshahr, U.P.** had submitted an application to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition for starting **B.ED** Course of **One year** duration with an annual intake of **100 (One Hundred Only)** students on **27.03.2008**.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal of the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, recommendation of the State Government, the Committee was satisfied that the institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the **Secondary Teacher Education Programme** such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc. for running the Programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section **14(3) (a)** of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition to **Maa Draupdi Devi Kanya Vidyalaya, Vill- Janipur Kalan, Post- Shikarpur Tehsil- Shikarpur, District- Bulandshahr, U.P.** for conducting **B.ED** Course of **Secondary (Level)** of **one year** duration with an annual intake of **100 (One Hundred Only)** Students from the academic session **2009-2010** under clause 7(11) of NCTE Regulation, 2007 notified on 10-12-2007 subject to fulfillment of the following conditions as per the clarification from the NCTE HQ's letter No. File No. 48-3(1)/2008/NCTE (N&S) dated 01/10/2009 and 06.10.2009.

I. The admissions of students shall be made only after affiliation by the examining body before the commencement of the academic session and the admission of the students shall be completed well before the cut off date prescribed by the examining body for the academic session 2009-2010, failing which the recognition will be effective from the academic session 2010-2011 only.

II. Formal order for recognition/permission will operate for 2009-2010 only if the requirement of 180 teaching days in the session is fulfilled as per calendar of the University/Affiliating Body.

4. The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into joint accounts to be operated along with an officer of the Northern Regional Committee.

5. The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

6. The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10-12-2007.

7. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed under relevant norms and standards of NCTE for other regulatory bodies like UGC, the State Government etc, wherever applicable.

Cont...2

8. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant together with statement of T.D.S. in respect of the salary paid to the staff. A copy of the format is enclosed with the order.

9. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognition as stipulated provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

10. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure: -

- Copy of the Application Form
- Land and Building Particulars
- Staff Profile
- Recognition letter
- Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.

11. In case if the land is in the name of the Society, you must transfer the land within six month in the name of the institution failing to which action shall be initiated to withdraw the recognition. It shall be essential on the part of the institution concerned to get the needful done in this regard and intimate the respective Regional Committee along with the new land document within the stipulated time.

The Manager to Govt. of India
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi - 110 054

Regional Director
Tel. No. 0141-2623501

C.C.

- (1) The Principal, **Maa Draupdi Devi Kanya Vidyalyaya, Vill- Janipur Kalan, Post- Shikarpur, Tehsil- Shikarpur, District- Bulandshahr, U.P.**
- (2) The Secretary Education, Govt. of Uttar Pradesh, Secretariat, Lucknow, U.P.
- (3) The Registrar, **Ch. Charan Singh University, University Road, Meerut, U.P.**
- (4) The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of Uttar Pradesh, Directorate, Allahabad, U.P.
- (5) The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bhadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110 002.
- (6) Office Order file/ Institution file.


Regional Director

प्रेषक,

सुरजन सिंह,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

बी० चरण सिंह विश्वविद्यालय,

मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 30 अगस्त, 2010

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:सम्बद्धता/1047, दिनांक 15-06-2010 एवं पत्रांक:सम्बद्धता/2050, दिनांक 20-08-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन माँ द्रोपदी देवी कन्या विद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2010 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- (2) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी०एड० पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
- (3) संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (4) संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

- (5) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (6) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(सुरजन सिंह)

अनु सचिव।

संख्या-1844(1)/सत्तर-2-2010-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- (4) सचिव/प्रबन्धक, माँ द्रोपदी देवी कन्या विद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर।
- (5) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)

अनु सचिव।

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/4089
दिनांक : 13.2011

सचिव

माँ द्रोपदी देवी कन्या विद्यालय,
शिकारपुर, बुलन्दशहर

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1844/सत्तर-2-2010-2(334)/2010, दिनांक 30.08.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन माँ द्रोपदी देवी कन्या विद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
2. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
3. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
4. संस्थान/महाविद्यालय "प्रपत्र बी" में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार माँ द्रोपदी देवी कन्या विद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

भवदीय

प्रतिलिपि :-

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, बी0एड0 सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव

कुलसचिव

कुलसचिव

प्रेषक,

डा0 जयदेव मित्रा,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 9 मई, 2012

विषय:-बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2012-13 में सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सम्बद्धता/3479, दिनांक 3.12.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन मॉ द्रोपदी देवी कन्या विद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित कमी के विद्यमान होने के कारण शैक्षिक सत्र 2012-13 से दिनांक 01.7.2012 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

(1) बी0एड0 शैक्षणिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल अप्राप्त है।

2- अतः उक्त के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि सन्दर्भगत महाविद्यालय के बी0एड0 पाठ्यक्रम की शैक्षिक सत्र 2012-13 में सम्बद्धता की अवधि में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय :-

- (1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (2) महाविद्यालय/संस्था द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार शैक्षिक सत्र 2012-13 की संयुक्त बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-

संख्या-सम्ब0-43(1)/सत्तर-2-2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्तिपथ, तिलक नगर, जयपुर।
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- (4) सचिव/प्रबन्धक, मॉ द्रोपदी देवी कन्या विद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर।
- (5) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
- (6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिराभवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (7) निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री (श्री आलोक कुमार), उ0प्र0शासन।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ज. मित्रा

(डा0 जयदेव मित्रा)

संयुक्त सचिव।

✓

पाठन कराया जाएगा।

- (3) संस्था, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- (4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- (5) यदि प्रश्नगत मामले में एन0बी0सी0 का प्रमाणपत्र प्राईवेट एजेन्सी से प्राप्त है अथवा सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र नहीं है, इनमें यथास्थिति लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के सक्षम अधिकारी (अधि0 अभियन्ता) का प्रमाण पत्र और अग्निशमन का प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं है अथवा प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनमें अग्निशमन का नवीनतम (वर्ष 2012 तक का) प्रमाण पत्र महाविद्यालय से विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20.5.2012 तक प्राप्त कर लिया जायेगा, अन्यथा संबद्धता का आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

उपरोक्त प्रस्तर में वर्णित शर्त के अलावा महाविद्यालय के संबंध में इंगित अन्य कमी, जो इस पत्र के प्रस्तर-1 में वर्णित है, के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षण सत्र 2012-2013 प्रारंभ होने के पूर्व उक्त कमी का निराकरण करा लिया जाएगा।

भवदीय,

(डा0 जयदेव मित्रा)
संयुक्त सचिव।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / 410

दिनांक : 10.5.2012

सचिव

माँ द्रोपदी देवी कन्या विद्यालय,

शिकारपुर, बुलन्दशहर

महोदय,

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब0-43/सत्तर-2-2012-2(334)/2010, दिनांक 09.05.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन माँ द्रोपदी देवी कन्या विद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कमियों के विद्यमान होने के कारण शैक्षिक सत्र 2012-13 से दिनांक 01.07.2012 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. बी0एड0 शैक्षणिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल अप्राप्त है।

उक्त के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि संदर्भगत महाविद्यालय के बी0एड0 पाठ्यक्रम की शैक्षिक सत्र 2012-13 की सशर्त सम्बद्धता विस्तरण की अवधि में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये :-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. महाविद्यालय/संस्था द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार शैक्षिक सत्र 2012-13 की संयुक्त बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
3. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
5. यदि प्रश्नगत मामले में एन0बी0सी0 का प्रमाण पत्र प्राईवेट एजेन्सी से प्राप्त है अथवा सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र नहीं है, इनमें यथास्थिति लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण आभेयंत्रण सेवा के सक्षम अधिकारी (अधि0 अभियन्ता) का प्रमाण पत्र और अग्निशमन का प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं है अथवा प्रमाण पत्र नहीं है तो उनमें अग्निशमन का नवीनतम (वर्ष 2012 तक का) प्रमाण पत्र महाविद्यालय से विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक

20.05.2012 तक प्राप्त कर लिया जायेगा अन्यथा सशर्त सम्बद्धता विस्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

उपरोक्त पैरा 01 से 05 में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त शासन द्वारा इंगित विद्यमान उक्त कमियों को शिक्षण सत्र 2012-13 प्रारम्भ होने से पूर्व निराकरण कर विश्वविद्यालय को सूचित किया जाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में आगामी होने वाली काउन्सिलिंग में संस्थान का नाम सम्मिलित नहीं किया जायेगा एवं तदनुसार शासन को अग्रेतर कार्यवाही की संस्तुति करते हुए सूचित कर दिया जायेगा।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार माँ द्रोपदी देवी कन्या विद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त कमियों के विद्यमान होने के कारण शैक्षिक सत्र 2012-13 से दिनांक 01.07.2012 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय/शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर दिये गये निर्देश अनुपालनीय होंगे।

भवदीय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपकुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, बी0एड0 सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART - III, SECTION - IV

F. No./NRC/NCTE/NRCAPP-10271/Recognition/D.El.Ed./268th (Part-2) Meeting/2017 Dated:-

RECOGNITION ORDER

11 MAY 2017

WHEREAS in terms of section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institutions had submitted applications to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for Teacher Education Courses.

2. AND WHEREAS, on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by the institutions mentioned in table below, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution against decision of clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014, the Northern Regional Committee in its meeting held from time to time (mentioned against each of the institution) is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the concerned Teacher Education Programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms and as per the approval of faculty given by the affiliating bodies.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition/permission to the following Institutions for conducting Teacher Education programme with an annual intake mentioned against their names from the academic session 2017-2018 under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 subject to fulfillment of the conditions mentioned below :-

Sr. No.	File No.	Name of Institute	Course	Duration	Approved annual intake	Meeting No.	Name of the Affiliating Body
1.	NRCAPP-10271	Maa Draupdi Devi Kanya Vidhalaya, Plot No.- 37/1, Street No.- 00, Village- Janipur Kalan, Post Office- Shikarpur, Tehsil/Taluka- Shikarpur, Town/City- Shikarpur, District- Bulandshahr, Pin Code - 203395, State- Uttar Pradesh	D.El.Ed.	2 years	100 (2 Units)	268 th (Part-2) Meeting	SCERT, Uttar Pradesh

4. The institutions shall adhere to the fulfillment of the provisions of the NCTE Regulations, 2014 and ensure the following before commencement of the session:-

- The institution shall comply with various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.
- The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(10) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014.
- The institution shall comply with the condition as laid down in the clause 8(3) of the NCTE Regulations, 2014 which provided that "An institution which has been recognized by the Council shall obtain accreditation from an accrediting agency approved by Council within five year of such recognition.

for us

- (iv) The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.
- (v) As per the provisions of the NCTE Regulations, 2014 the following norms have been prescribed for staff/ qualifications/administrative and professional staff/terms and conditions of service etc.

4. Further, the recognition is subject to fulfilment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, the State Government etc. as applicable and compliance of the following by the affiliating body, State Govt and also the concerned recognised Institution:-

- (i) The affiliating bodies/State Govt. shall be required to verify the authenticity of the land & building documents with the required land & built up area as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.
- (ii) The affiliating body shall ensure that the institution is composite institution as per the definition of composite institution given in the NCTE Regulation, 2014. If at any stage, it is found that the institution as not a composite institution, the recognition, granted will be treated as withdrawn and the sole responsibility of the same will be of the institution. However, in the existing institutions permitted for additional intake, shall have to ensure that they are to become composite gradually preferably the academic session 2016-17.
- (iii) The NOC of the affiliating body and staff approval thereof submitted by the institution, if found fake at any stage, the recognition, granted will be treated as withdrawn and the sole responsibility of the same will be of the institution.

5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

6. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-

- (i) Copy of the Application Form
- (ii) Land and Building Particulars
- (iii) Staff Profile
- (iv) Recognition letter
- (v) Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.

7. In case if the land is in the name of the Society/trust, the land is to be transferred within six months in the name of the institution, failing which action shall be initiated to withdraw the recognition. It shall be essential on the part of the institution concerned to get the needful done in this regard and intimate about the same to the respective Regional Committee along with the new land documents within the stipulated time.

8. The Educational Institution shall follow Uniform Accounting System as brought out by ICAI and accepted by MHRD.

9. The Institution shall fill the GIS application within one month of issue of this Order.

10. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognition as under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

for as

11. Further, if the institution is not satisfied with the order, it may prefer an appeal under sections 18 of NCTE Act, 1993 in the "online mode" available on NCTE's website www.ncte.india.org within 60 days from the date of this order. The guidelines for filing appeal may be seen on NCTE's website.

By order



(Satish Gupta)
Regional Director (I/C)

The Manager,
Govt. of India Press,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi - 110 054

Copy to: -

1.	The Principal, Maa Draupdi Devi Kanya Vidhalaya, Plot No.- 37/1, Street No.- 00, Village- Janipur Kalan, Post Office- Shikarpur, Tehsil/Taluka- Shikarpur, Town/City- Shikarpur, District- Bulandshahr, Pin Code - 203395, State- Uttar Pradesh	
2.	The Secretary/Manager, Maa KAmLa Charitable Trust, Plot No.- 57, RDC, Street No.- RDC, Village- Raj Nagar, Post Office- Kavi Nagar, Tehsil/Taluka- Ghaziabad, Town/City- Ghaziabad, District- Ghaziabad, Pin Code - 201002, State- Uttar Pradesh	
3.	The Director, State Council of Educational Research & Training (SCERT), UP State Government, JBTC Campus, Nishatganj, Lucknow-226007, Uttar Pradesh	I. With the request to ensure veracity of the NOC & approval of the staff issued to the institution and also ensure that the admission are made by the institutions as per the size of unit and intake mentioned in the recognition /permission order and compliance of other terms and conditions as laid down above. II. With request to affiliate the institution only after the institution has updated its GIS information on the NCTE Web-site.
4.	The Principal Secretary, Basic Education, Government of Uttar Pradesh, IInd Floor, Room No. 15, Sachiv Bhawan, Secretariat, Lucknow-226001, Uttar Pradesh	With a request to ensure compliance of the terms & conditions as laid down above.

5.	The Secretary, Ministry of Human Resource Development, (Deptt. Of School Education and Literacy), Shastri Bhawan, New Delhi – 110001.
6.	The US (EDP), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, I, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.
7.	The Computer Programme, NRC-NCTE for uploading on website.
8.	Institution File.
9.	Guard file.


Regional Director (I/C)

संख्या- 664 / 15-11-2018

कामता प्रसाद सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

वा मे,
निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

विषय- निजी संस्थान में द्रौपदी देवी कन्या विद्यालय, प्लॉट नं०- 89, ग्राम-जनीपुर कलान, पो०-शिकारपुर, तहसील-शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर को डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निजी संस्थान में द्रौपदी देवी कन्या विद्यालय, प्लॉट नं०- 89, ग्राम-जनीपुर कलान, पो०-शिकारपुर, तहसील-शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्रामाण्य एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बंधक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्यक्करण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04.04.2018 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2018-19 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- (1)/15-11-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II एल०आई०सी० बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन-302005।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बुलन्दशहर।
- 5- सचिव/प्रबन्धक में द्रौपदी देवी कन्या विद्यालय, प्लॉट नं०- 89, ग्राम-जनीपुर कलान, पो०-शिकारपुर, तहसील-शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

Principal

Dr. Kanya Vidyalaya,
Shikarpur (Bulandshahr)

Principal